बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 14 9089 पटना, दिनांक - 21 मई 2013

ग्रा.वि.-11 बजट ए0सी0/डी0सी0-2/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी उपविकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय-: **दिनांक- 01.10.2011 से 31.12.2012 तक की ए0सी0 विपत्र पर निकासी की गई अग्रिम राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र सीधे महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने के संबंध में ।**

महाशय,

बिहार कोषागार संहिता- 2011 के नियम- 198 में प्रावधानित नियम के संबंध में वित्त विभाग के विरूद्ध सं0एम0-4-20/2013-4332/वि0(2) दिनांक- 03.05.2013 की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि दिनांक- 01.10.2011 से दिनांक- 31.12.2012 तक की ए0सी0 विपत्र पर निकासी की गई अग्रिम राशि के सामंजन हेतु डी0सी0 विपत्र पूर्व (यथा दिनांक- 30.09.2011 के पहले के लंबित ए0सी0 विपत्र का सामंजन हेतु डी0सी0 विपत्र पूर्व (यथा दिनांक- 30.09.2011 के पहले के लंबित ए0सी0 विपत्र का सामंजन महालेखाकार कार्यालय से किया गया है) में दिये गये निदेश के अनुसार तैयार कर उसे विभाग (मुख्यालय) से जांच एवं प्रतिहस्ताक्षर कराकर सीधे महालेखाकार कार्यालय में जमा किया जाय । लंबित विपत्रों का डी.सी. विपत्र दि0- 20.05.13 तक विभाग में निश्चित रूप से उपस्थापित किया जाय ।

सहायक अनुदान मद की राशि जो ए.सी. विपत्र पर निकासी कर ली गयी है, उन विपत्रों के समायोजना हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक- 16907 वि0(2) दि0- 13.11.12 जो पंचायती राज विभाग को संबोधित है, इसके साथ आवश्यक कार्यार्थ संलग्न किया जाता है ।

अनुलग्नक :- यथोपरि ।

विश्वासभाजन

21.5.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव ।

निर्गत
21-5-13

पत्र सं०-28/डा0से0-18/2010(खण्ड-I) ......16907...... वि०(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-......13/XII/12.......

विषयः- पंचायती राज विभाग के बजट से ए.सी. विपत्र पर निकासी की गयी सहायक अनुदान मद की राशि के समायोजन के संबंध में ।

प्रसंगः- आपका पत्रांक 7155 दिनांक 13.12.2012.

महाशय,

उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग के बजट से ए.सी. विपत्र पर निकासी की गयी सहायक अनुदान मद की राशि के समायोजन के संबंध में उपर अंकित पत्र द्वारा निदेश की मांग की गयी है । इस संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित कागजात उपलब्ध कराने पर सहायक अनुदान मद की राशि के समायोजन की कार्रवाई की जा सकती है :-

1. चेक के माध्यम से राशि के हस्तानांतरण की स्थिति में :-

   (i) स्वीकृत्यादेश की सत्यापित प्रति ।

   (ii) ग्रान्टी के बीच राशि के वितरण से संबंधित सत्यापित विवरणी ।

   (iii) उस पंजी की सत्यापित प्रति जिसमें हस्ताक्षर कर ग्रान्टियों ने अनुदान की राशि को प्राप्त किया है ।

   (iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि "प्रमाणित किया जाता है कि ग्रान्टी संस्थाओं को राशि का वितरण Account Payee Cheque द्वारा किया गया है । Account Payee Cheque द्वारा वितरित की गयी राशि का Bank detail कार्यालय में उपलब्ध है । ग्रान्टी संस्थाओं से राशि प्राप्ति की सूचना किसी अन्य विपत्र के साथ अन्यत्र प्रयोग नहीं की गयी है ।"

2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राशि के हस्तानांतरण की स्थिति में -

   (i) स्वीकृत्यादेश की सत्यापित प्रति ।

   (ii) ग्रान्टी के बीच राशि के वितरण से संबंधित सत्यापित विवरणी ।

   (iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राशि हस्तांतरण हेतु बैंक को दिये गये Advice की सत्यापित प्रति।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि "प्रमाणित किया जाता है कि ग्रान्टी संस्थाओं को राशि का वितरण Electronic माध्यम से किया गया है । इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित की गयी राशि का Bank detail कार्यालय में उपलब्ध है । ग्रान्टी संस्थाओं से राशि प्राप्ति की सूचना किसी अन्य विपत्र के साथ अन्यत्र प्रयोग नही की गयी है ।"

(1) वित्त वि

3. जिला परिषद् को उपलब्ध करायी गयी राशि के सीधे उनके बैंक खाते में जमा होने की स्थिति में -

(i) स्वीकृत्यादेश की सत्यापित प्रति ।

(ii) बैंक के पास-बुक की अभिप्रमाणित प्रति जिससे स्पष्ट हो कि राशि ग्रान्टी के खाता में जमा की गयी ।

(iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि "प्रमाणित किया जाता है कि ग्रान्टी को राशि उपलब्ध करायी गयी है । ग्रान्टी से राशि प्राप्ति की सूचना किसी अन्य विपत्र के साथ अन्यत्र प्रयोग नहीं की गया है ।"

विश्वासभाजन,
13/11/12
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक 16907 वि॰ .... दिनांक 13/11/12

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

13/11/12
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।